केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/44 दिनांक: 13.02.2018

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00043
CICOM/R/2017/01481

अपीलकर्ता : श्री विनोद कुमार कन्नौजिया,
194, गुरूद्वारा कालोनी, क्लेमनटाउन,
देहरादून ।

निर्णय की तारीख : 13.02.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	08.12.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	08.01.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एच. पी. सेन
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	गैरदिनांकित

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 08.12.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग के आदेश सं. CIC/RM/A/2014/001685-AB के अनुपालन से संबंधित केन्द्रीय सूचना आयोग को लिखे अपने पत्र (डायरी सं. 183140 दिनांक 01/11/2016) पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-डी.पी. कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है । अपीलकर्ता ने आरोप लगाया है कि समय पर सूचना प्राप्त नहीं हुई, सूचना दिनांक 14.01.2018 को प्राप्त हुई है ।

2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील आवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का दिनांक 08.12.2017 का उक्त आर.टी.आई. आवेदन केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 13.12.2017 को डायराइज हुआ है तथा श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 08.01.2018 को पत्र सं. CIC/CPIO/OC-DP/2017/0003 के माध्यम से सूचना प्रेषित की गई है जो कि सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित अवधि 30 दिनों के अंदर ही है ।

3. अपीलकर्ता द्वारा उक्त आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 1 एवं 2 के तहत शिकायत पत्र (डायरी सं. 183140 दिनांक 01/11/2016) पर क्या-क्या कार्यवाही की गई, किस-किस अधिकारी एवं कर्मचारी ने क्या-क्या कार्यवाही की प्रत्येक का नाम व पद एवं दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपि की मांग की गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री एच. पी. सेन द्वारा सूचना प्रदान की गई कि "No action on Dy. No. 183140 dated was taken as no information was sought as per Section 2 (f) of RTI Act." । प्रथम अपील आवेदन के साथ संलग्न अपीलकर्ता के पत्र (डायरी सं. 183140 दिनांक 01/11/2016) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता ने उक्त पत्र के माध्यम से कोई सूचना नहीं मांगी है बल्कि आयोग के आदेश सं. CIC/RM/A/2014/001685-AB का अनुपालन नहीं होने से संबंधित है । आवेदन के बिंदु सं. 3, 4 एवं 5 के तहत मांगी गई सूचना, सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(च) में परिभाषित सूचना सूचना की परिभाषा में शामिल नहीं है । अत: अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई बिंदुवार सूचना बिल्कुल तथ्यानुरूप है एवं इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
15 FEB 2018
D. No.........
Initials.........

---2/-

4. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

5. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :
1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

15/02/18